# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0, 136/2008,(जी.सी.एम.एस. न. 2008/00038) पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. महेन्द्र सिंह
2. शेर सिंह

पुत्रगण दुल्ली जाति जाट नि0 नगला मोती तहसील डीग —वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील डीग
2. श्रीमान् जिला कलक्टर भरतपुर(राज0) वास्ते प्रतिनिधि राज0 सरकार —प्रति0

दावा बाव उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज0 टि0 एक्ट,

दिनांकः 18.06.2024

## निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि वादीगण की खातेदारी के सविक आराजी खसरा नम्बर 286 मिन क्षेत्रफल 1 वीघा 1 विस्वा एवं 285 क्षेत्रफल 2 विस्वा के नये नम्बर 506/0.14 के राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत इन्द्राज सिवायचक दर्ज किये जाने के कारण तहसीलदार डीग हस्तक्षेप करते है और वादीगण के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही करते है। तहसीलदार डीग के विरूद्व हाल राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 506 रकबा 0.14 के सम्बन्ध में चले आ रहे गलत इन्द्राज सिवायचक को कलमजन की रिलीफ चाही गई है। प्रति0 संख्या 02 जिला भरतपुर के जिला कलक्टर महोदय है जोकि राज्य सरकार के कार्यो का निष्पादन राज्य सरकार की हैसियत से करते है। दावा वादीगण अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण दो माह का कानूनी नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। जोकि नहीं दिया गया। सविक आराजी खसरा नम्बर 285 रकबा 2 विस्वा, 286 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा स्थित ग्राम नगला मोती तहसील डीग वादीगण के बाबा अमर सिंह पुत्र गंगा के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण के बाबा मृतक अमर सिंह अपने 1/3 हिस्सा की आराजी पर राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व से ही खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करते चले आ रहे थे और वादीगण के उक्त बाबा मृतक अमर सिंह हकी मृत्यु के बाद उक्त सविक आराजी खसरा नम्बर 285 रकबा 2 विस्वा एवं 286 रकबा 1 वीघा 1 विस्वा वादीगण के पिता मृतक दुल्ली के कब्जे काश्त एवं खातेदारी के रहे है। विवादित सविक आराजी खसरा नम्बरान पर अन्य सविक खसरा न0 55, 222, 296, 385 पर काश्त की है। वादीगण के बाबा अमर सिंह व वादीगण के पिता दुल्ली का काफी अर्सा पूर्व देहान्त हो चुका है। सैटिलमेंट के दौरान सविक खसरा नम्बर 285 एवं 286 का नया नम्बर 506 रकबा 0.14 बनाया है। वर्तमान खसरा नम्बर 506 रकबा 0.14 जिसको कि सविक खसरा नम्बर 285 एवं 286 मिन के सहयोग से सैटिलमेंट द्वारा नवीन नम्बर में परिवर्तित किया है, वह वादीगण के स्व0 बाबा अमर सिंह

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

के 1/3 हिस्से की खातेदारी एवं काश्तकारी की आराजी है। वक्त सैटिलमेंट के दौरान हाल खसरा नम्बर का इन्द्राज गलत प्रकार से सिवायचक दर्ज कर दिया था। इसके भी अतिरिक्त विवादित आराजी सिवायचक भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से कभी भी सिवायचक भूमि नहीं रही है। विवादित भूमि काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि रही है और वादीगण अपने पूर्वजों के जमाने से ही निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है और आराजी मुत0 पर वादीगण का वाहिस्सा बरावर कब्जा है। अतः निवेदन है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 506 रकबा 0.14 में से 7 ऐयर की आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज चले आ रहे है। वादीगण का ही कब्जा काश्त है। आराजी खसरा नम्बर 506 रकबा 0.14 ऐयर में से 7 ऐयर भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी में वर्णित सिवायचक इन्द्राज को कलमजन किया जाकर प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री से पावंद फरमाया जावे।

**दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0** को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 26.07.2010को सरकार की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि आराजी मुत0 सरकारी व सरकारी आधिपत्य की भूमि है। सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने पर धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही का प्रावधान है। वादीगण का आराजी पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है एवं वाद का कोई कारण नहीं है। दावा में ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है। दावा लाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है जोकि नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा खारिज फरमाया जावे।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकी दिनांक 21.12.2016 को कायम की गई:–

1. आया वादीगण विवादित आराजी पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।
2. आया वादीगण विवादित आराजी बावत प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है।
3. आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 506/0.14 हैक्टे0 सिवायचक दर्ज है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है।
4. दादरसी।

उक्तानुसार तनकीयात कायम के पश्चात सम्बन्धित वादीगण के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन तथा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। बहस के दौरान वकील वादीगण द्वारा दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि हाल आराजी खसरा नम्बर 506 रकबा 0.14 में से 7 ऐयर की आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज चले आ रहे है। वादीगण का ही कब्जा काश्त है। आराजी खसरा नम्बर 506 रकबा 0.14 ऐयर में से 7 ऐयर भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी में वर्णित सिवायचक इन्द्राज को कलमजन किया जाकर प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री से पावंद फरमाया जावे। **पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा का गहनतापूर्वक अवलोकन** तथा वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। वादीगण के द्वारा दावे की पुष्टि में हाल जमाबन्दी सम्बत 2069–2072, मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग तथा साविक जमाबन्दी पेश की गई। वादीगण के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 506 रकबा 0.14 ऐयर में से 7 ऐयर भूमि पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा उक्त आराजी में वर्णित सिवायचक इन्द्राज को कलमजन किया जाकर प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री से पावंद किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त विवरण अनुसार हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टि0 एक्ट, को राजस्व रिकार्ड से सावित नहीं होने व राजस्व रिकार्ड के अभाव में अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

## अतः आदेश है कि :–

**वादीगण** का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित नहीं होने व राजस्व रिकार्ड के अभाव में **अस्वीकार/खारिज** किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग(डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner